रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072022-237603
CG-DL-E-27072022-237603

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3243] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944
No. 3243] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3405(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के विजयवाड़ा-गुंडुगोलानु खंड में विजयवाड़ा बाईपास के चिन्ना अवतुपल्ली (डिजाइन Ch.0.000) से गोलपुडी (डिजाइन Ch. 30.000) तक के खंड में निर्माण (चौड़ा करने / 4/6-लेन बनाने आदि) प्रबंधन और संचालन, रखरखाव के लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (4), (5), (6) और (7) में उल्लिखित राज्य, जिला, तालुक और गांवों से संबंधित उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट भूमि के विस्तार के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरण के कार्यों को करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

आंध्र प्रदेश जिला (गठन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्या 7) के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार के गजट भाग-I, असाधारण संख्या 484, G.27, दिनांक 03.04.2022 के तहत, नए एन.टी.आर. जिला के गठन के परिणामस्वरूप, दिनांक 20 जुलाई, 2011 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 21 जुलाई, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना S.O.1668 (अ) की अनुसूची में क्रमांक संख्या 2 पर सभी प्रविष्टियाँ और दिनांक 01 मई, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II-खंड 3 - उप-खंड (ii) दिनांक 01 मई, 2013 में प्रकाशित अधिसूचना का.आ.1090(अ) के तहत जारी संशोधन को अमान्य माना जाता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा बाईपास के कि.मी. 14.750 से कि.मी. 30.000 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के संबंध में भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सब कलेक्टर, विजयवाड़ा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH16 के कि.मी. 14.75 से 30 तक	आंध्र प्रदेश	एनटीआर	विजयवाड़ा ग्रामीण	1 गोल्लापुड़ी 2 जक्कम पुड़ी 3 अम्बापुरम 4 पी नैनावरम 5 पातपाडु 6 के वि कण्डरिका 7 नुन्ना

[फा. सं. NHAI/PIU-VIJ/11082/LA/NH-16/P-III(NTR)/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. **3405(E).—**In exercise of the powers conferred by Clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to State, District, Taluks and Villages mentioned in column (4), (5), (6) & (7) respectively of the said Schedule for building (widening/4/6-laning etc.) maintenance, management and operation of the National Highway No.16 from Chinna Avutupalli (Design Ch.0.000) to Gollapudi (Design Ch. 30.000) of Vijayawada Bypass in Vijayawada-Gundugolanu Section of NH-16 in the State of Andhra Pradesh.

Consequent to formation of new N.T.R. District vide Government of Andhra Pradesh Gazette Part-I, Extraordinary No.484, G.27, dated 03.04.2022 as per Andhra Pradesh District (Formation) Act, 1974 (Act No.7 of 1974), all the entries at Sl.No.2 in the Schedule to the Notification S.O.1668 (E), dated the 20th July, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 21st July, 2011 and amendment issued vide S.O.1090 (E), dated the 1st May, 2013 published in the Gazette of India Extraordinary Part-II-Section 3, Sub-section (ii) dated the 1st May, 2013, are stands invalid.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of National Highway No.16 in the stretch from. Km 14.750 to Km. 30.000 of Vijayawada Bypass in the State of Andhra Pradesh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub Collector, Vijayawada ()	14.75KM To 30KM	ANDHRA PRADESH	NTR	Vijayawada Rural	1 Gollapudi 2 Jakkampudi

						3	Ambapuram
						4	P.Nynavaram
						5	Pathapadu
						6	K.V.Kandrika
						7	Nunna

[F. No. NHAI/PIU-VIJ/11082/LA/NH-16/P-III(NTR)/2022]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.07.27 22:08:24 +05'30'